न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2024 (अपील)

सोहन पुत्र केसरा जाति बलाई निवासी छिर्रे तहसील दूदू जिला दूदू राज0।

(अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू राज0।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 29.2.2024 न्यायालय उप तहसीलदार साखून जिला दूदू मु0न0 66/2024 बउनवानी सरकार बनाम सोहन अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मनोज कुमार नाथावत विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. पैरोकार सरकार (उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू) रेस्पोडेन्ट की और से ।

निर्णय दिनांक :– 10.7.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी सोहन पुत्र केसरा जाति बलाई निवासी छिर्रे तहसील दूदू जिला दूदू राज0 ने धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत अपील इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी हल्का गहलोता की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू ने कृषि भूमि वर्ष 2080 के दौरान ग्राम छिर्रे के ख0न0 1101 रकबा 1.71 है0 मे से 0.35 है0

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

पर अतिचारी मानते हुए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी को 60 दिन का सिविल कारावास व 560/– रूपये पेलेन्टी लगाने का आदेश दिनांक 29.2.2024 को पारित किया . जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त व तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने अतिक्रमण नही कर रखा है। अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति है जिसको अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.2.2024 की जानकारी नही रही है। अपीलार्थी ह्रदय रोग से ग्रसित है एवं हॉस्पिटल में काफी समय तक भर्ती रहा एवं अभी हाल ही में गांव आया तो सुना की तुम्हारे विरूद्व गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी हुआ है तब अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर निर्णय दिनांक 29.2.2024 की जानकारी हुई है जिससे उक्त अपील में देरीना हुई है, जिस हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.2.2024 व राजस्व कार कुनानों द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाये जाने के ओदश प्रदान करावें।

2. . यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई।

3. . बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार ने अपनी बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू दिनांक 29.2.2024 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त व तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को बिना समझे एवं तथ्यों की जॉच किये बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है। अधिकांशतः बीमार रहता है। हार्ट का मरीज है। वर्तमान में मौके से तारबंदी को हटा लिया गया है। उप तहसीलदार साखून ने न्यायिक प्रकिया में विवेक का प्रयोग किये बिना ही गलत तरीके से अपीलार्थी को सिविल करावास का आदेश भी पारित किया है जो न्यायोचित नही है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.2.2024 अपास्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट की और से पैरोकार सरकार उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चरागाह ख0न0 1101 पर 0.35 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाडा एवं टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलार्थी द्वारा बार बार अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी के विरूद्व

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

धारा 91(3) के तहत कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनाक 29.2.2024 न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम छिर्र तहसील दूदू के ख0न0 1101 रकबा 1.71 है0 किस्म चरागाह मे से 0.35 है0 भूमि पर अवैध रूप से बाडा एवं टीनशेड बनाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियम दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। आदेशिका पर अगूंठा निशानी अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण धारा 91(3) के तहत 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 29.2.2024 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके अनुसार वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण टीनशेड पूर्ववत यथावत है। अपील में वर्णित राजकीय भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है, जिस पर अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए अपील में वर्णित तथ्य अपीलार्थी के पक्ष में साबित नही होते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 66/2024 बउनवानी सरकार बनाम सोहन में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.7.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
दूदू(राज0)